न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 29 / 2022
अनवान : –

1. मोहरसिंह पुत्र हरचंद जाति कुम्हार निवासी जाटान त0 भादरा।

प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :–श्री अमित देहडू **प्रार्थी**
राजपैरोकार **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांकः 30-1-23

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा ग्राम मलसीसर के खाता सं0 284 / 260 के खसरा सं0 210, 210 / 2, की कुल 3.2120है0 बारानी खातेदारी में प्रार्थी के नाम 1 / 3 हिस्सा जिसमें प्रार्थी का नाम मेहरचन्द पुत्र हरचन्द व रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 304 / 294 के खसरा सं0 101 / 5 की कुल 4.5020है0 में प्रार्थी का 1 / 4 हिस्सा जिसमें प्रार्थी का नाम मेघसिंह पुत्र हरचन्द राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि प्रार्थी को विरासतन प्राप्त हुई है विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम मेहरचन्द व मेघचन्द / मेघसिंह पुत्र हरचन्द दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम मोहरसिंह पुत्र हरचन्द है। प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में सही नाम मोहरसिंह पुत्र हरचन्द ही दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम गलत राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से प्रार्थी अपनी खातेदारी का सही प्रकार से उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रही है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्वि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया तथा तहसीलदार भादरा से रिपॉर्ट प्राप्त की गई।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को उक्त वाद भूमि विरासतन अपने पिता से प्राप्त हुई है। प्रार्थी का नाम विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय उक्त दोनों खातो में मेहरचन्द व मेघचन्द / मेघसिंह दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेज में नाम मोहरसिंह है। तहसीलदार रिपॉर्ट में भी प्रार्थी का सही नाम मोहरसिंह पुत्र हरचन्द ही बताया गया है अतः प्रार्थी का सही नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात यथा पहचान पत्र , आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पारिवारिक राशन कार्ड तथा ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र आदि में सही नाम मोहरसिंह पुत्र हरचन्द ही दर्ज है। तसहीलदार भादरा की रिपॉर्ट के मुताबिक उक्त नाम मोहरसिंह उर्फ मेहरचन्द उर्फ मेघचन्द/मेघसिंह एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया गया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा ग्राम मलसीसर के खाता सं0 284/260 के खसरा सं0 210, 210/2, की कुल 3.2120है0 बारानी खातेदारी में प्रार्थी के नाम 1/3 हिस्सा जिसमें प्रार्थी का नाम मेहरचन्द पुत्र हरचन्द व रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 304/294 के खसरा सं0 101/5 की कुल 4.5020है0 में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा जिसमें प्रार्थी का नाम मेघचन्द/मेघसिंह पुत्र हरचन्द राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रार्थी के नाम मेहरचन्द पुत्र हरचन्द तथा मेघचन्द/मेघसिंह पुत्र हरचन्द की जगह प्रार्थी का सही नाम मोहरसिंह पुत्र हरचन्द दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30-1-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
R.A.S
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़